



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1832]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 1, 1940

No. 1832]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/ JYAISTHA 1, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ. 2025 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित राज्य सरकारों द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, (बर्दवान किमी 0.00 से मोल्लारपुर किमी 105.86), सं. 2 का विस्तार, सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (डलकोला से घोषपुर, सिलीगुड़ी के निकट) तक खंड को छोड़कर], सं. 31ए (सीवोक - रोंगपो खंड), सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलावाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा - दुअराजपुर - सूरी -रामपुरहाट - नलहाटी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार"

रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी 0.557 से किमी 7.105 तक (कोना एक्सप्रेसमार्ग) और किमी 22.76 से किमी 137.68 (जोका से बक्खाली तक)], सं. 80, सं. 81, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 116बी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए, नई रारा सं. 133ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 [इंडो/बंगलादेश सीमा-फुलबाड़ी – सिलीगुड़ी (शिवमंदिर, मेडिकल मोड़ खंड)], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 317ए, (भूटान – भारत सीमा से हासीमारा), नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327बी (भारत – नेपाल सीमा पर मेची नदी से पानी टंकी मार्किट रारा 31सी पर समाप्त होने वाला), नई रारा सं. 419, नई रारा सं. 512 और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 717 (मैनागुड़ी – चांगराबन्धा – इंडो/बंगलादेश सीमा खंड), 717ए के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा.सं. एनएच-14013/9/2017-पीएण्डएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार सं. का.आ. 1518-19 (अ), 06.04.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O. 2025 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“25	National Highways No. 2B (Burdwan 0.00 km to Mollarpur 105.86 km), Extension of No. 2, No.31 [(excluding from Km.447.000 to Km.470.000 and from Km.476.150 to Km.551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31A (Sevoke-Rangpo section), No.31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)] , No.34 (excluding from Km.31.00 (Barrasat) to Km.452.70 (Dalkhola), No.60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri-Rampurhat-Nalhati and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No.35, No.55, No.60A and No.117 [from Km. 0.557 to Km. 7.105 (Kona Expressway) and Km.22.76 to Km.137.68 (from Joka to Bakhali)], No.80, No.81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 131A, new NH No. 133A, new National Highway No. 10 [Indo/Bangladesh border-Fulbari-Siliguri (Shibmandir, Medical More) section)], new National Highway No. 317A (Bhutan-India border to Hasimara), new National Highway No. 327B (India-Nepal border at Mechi River to Panitanki Market terminating at NH 31 C), new NH No. 419, new NH No. 512 and new National Highway No. 717 (Mainaguri-Changrabandha- Indo/Bangladesh border section), 717A as are situated within the State of West Bengal.	State Government of West Bengal”.

[F. No. NH-14013/9/2017-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1819 (E), dated the 06.04.2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ. 2026 (अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
32	झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा से डेटिया खंड (पश्चिम बंगाल राज्य में)	किमी 70.524 से किमी 131.392

[फा.सं. एनएच-14013/9/2017-पी एण्ड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O. 2026(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
32	Jharkhand/West Bengal border to Detiya Section (in the state of West Bengal)	Km. 70.524 to km. 131.392

[F. No. NH-14013/9/2017-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.